



जयपुर के मालवीय नगर इण्डस्ट्रियल एरिया एवं उसके पास के रिहायशी इलाके में मंगलवार सुबह आठ बजे एक लैपर्ड घूमते हुए देखा गया। इस बात की भनक लगते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लैपर्ड ने हमला करके एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर को तथा झालाना सफारी में कार्यरत जीप चालक को घायल कर दिया। लैपर्ड दिन में अधिकतर समय तक बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनॉलजी परिसर में इधर-उधर भागता रहा, उसके बाद वहाँ से निकलकर एक घर में जाकर छुप गया, करीब एक घंटे तक घर में ही छुपा रहा। वन विभाग की टीम ने घर में छुपे लैपर्ड को ट्रैकुलाइज करने का काम शुरू किया लेकिन एक शूट मिस हो जाने के बाद उसने भागकर एक फैक्ट्री कर्मचारी पर हमला कर दिया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने लैपर्ड को ट्रैकुलाइज करके पिंजरे में कैद कर लिया। फिर वन विभाग ने लैपर्ड को पुनः वन क्षेत्र में छोड़ने की कवायद में शुरु की।

पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टाधारकों को बिजली कनेक्शन देने पर हाईकोर्ट की मुहर

अदालत ने अपने आदेश में जे.वी.वी.एन.एल. पर सभी तरह के अदालती आदेशों की बंदिश हटाते हुए कहा कि, वे उक्त क्षेत्र में नये बिजली कनेक्शन देना जारी कर सकते हैं

—यादवेंद्र शर्मा—
जयपुर, 7 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पृथ्वीराज नगर (पी.आर.एन.) योजना की करीब 214 गैर अनुमोदित कॉलोनिआं के करीब 17,500 भूखंड स्वामियों, जिनके पास सोसायटी पट्टे हैं, को उनके मकानों पर बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की मंजूरी दी है। वहीं खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 5 जुलाई 2013 के आदेश के तहत पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टा धारक भूस्वामियों के मकानों को बिजली कनेक्शन देने पर लगाई गई रोक को भी हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के गत 11 नवंबर के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें अपीलार्थियों को बिजली कनेक्शन देने से मना करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। जस्टिस पंकज भंडारी व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश शकुंतला शर्मा व अन्य की अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि एकलपीठ का पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाने का 2013 का आदेश बिजली अधिनियम 2003 की धारा 43 के प्रावधानों के खिलाफ है। अपील याचिकाओं में एकलपीठ के 11 नवंबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अवैध कब्जाधारकों की श्रेणी में मानकर उन्हें बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया था। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोसायटी पट्टों के जरिए पी.आर.एन. में जमीन खरीद कर मकान बनाए थे। शर्मा ने कहा कि बिजली अधिनियम की धारा 43 के तहत उनके मुक्किल कब्जाधारियों की परिभाषा में आते हैं और उन्हें अधिनियम की श्रेणी में बिजली कनेक्शन मुहैया कराना विभाग का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार बिजली कनेक्शन को एक मौलिक अधिकार बता चुका है। इसी संदर्भ में पूर्व आई.ए.एस. अफसर, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ और अधिवक्ता पी.एन. भंडारी ने अदालत को कहा कि क्योंकि बिजली कनेक्शन एक मूल सुविधा व अधिकार है, विभाग किसी भी आवेदक को इस सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जहां तक अतिक्रमण का मुद्दा है, बिजली

विभाग ना तो जांच करने का अधिकार व संसाधन रखता है कि बिजली आवेदक अवैध कब्जाधारी है या मूल कब्जाधारी है। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन से किसी भी भूखंड का स्वामित्व भी तय नहीं किया जा सकता, इसलिये अदालत को 2013 में दिये गये हाईकोर्ट के ही एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए कनेक्शन की अनुमति दे देनी चाहिये। उन्होंने अदालत को कहा कि अदालती आदेश की वजह से पी.आर.एन. क्षेत्र में बिजली की भारी चोरी हो रही है और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.) को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी याचिकाकर्ताओं का विरोध नहीं किया और कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस संदर्भ में कनेक्शन देने का फैसला ले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की थोड़ी सी लाज बचा दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 26,000 टीचर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया था, पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर "स्टे" दे दिया

—अंजन रॉय—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 7 मई। आम चुनावों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के प.बंगाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, इससे पीड़ित शिक्षकों को भारी राहत मिली। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार बहुत कठोर टिप्पणियां की।

सुप्रीम कोर्ट के इस बहुआयामी फैसलों का सतारुद्ध पार्टी और विपक्ष भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करते हुए अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी पर कोर्ट ने कलकत्ता की हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों को बहाल रखा जो उसने नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला सुनते समय

तीसरे चरण में 61.57 फीसदी वोटिंग

नई दिल्ली 7 मई (वार्ता)। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेश दादर-नगर हवेली और दमन एवं दीव की 93 सीटों पर कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से हुये मतदान में 61.57 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

■ असम में सबसे अधिक 75.30 प्रतिशत वोटिंग हुई तथा 74.32 प्रतिशत वोटिंग के साथ गोवा दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा प. बंगाल में भी भारी वोटिंग देखने को मिली है।

मतदान के अंतिम आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं, हालांकि, वोटिंग प्रतिशत पहले और दूसरे चरण के मुकाबले कम है। कई इलाकों में तेज और गर्मी के बीच मतदान का प्रतिशत तीसरे चरण में भी तुलनात्मक रूप से कम रहा। चुनाव आयोग शाम को जारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी आलोचना की राज्य सरकार की, स्कूल टीचर्स के चयन व नियुक्ति में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाये।

■ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ लेने का प्रयास किया, यह कहकर कि, भाजपा ने 26,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द करवायी थी, जो अब तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से "स्टे" प्राप्त करके फिलहाल बहाल करवायी है।

की थी, कि भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया के अनियमितता और रिश्त के आरोपों की जांच, जो सी.बी.आई. कर रही है जारी रहनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपूर्ण योग्यता धारक प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए नए पद सृजित करने के लिए आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार सामने आया। कम नम्बर पाने वाले छात्रों को नौकरियां मिल गई हैं। सबूत मिटाने के लिए सरकार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड,

और मंत्री जेल में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्कूल भर्ती आयोग से भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। अगर ऐसा होता है तो पता नहीं वर्तमान शिक्षकों का क्या होगा।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अनियमितताओं के जांच के आदेश के बाद भारी भ्रष्टाचार सामने आया। कम नम्बर पाने वाले छात्रों को नौकरियां मिल गई हैं। सबूत मिटाने के लिए सरकार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड,

कागजात नष्ट कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन शिक्षकों को राहत मिली है जिनकी नौकरी हाईकोर्ट के आदेश से चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाए पर उन्हें अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया का सामना करना होगा।

इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस को भी राहत मिली है क्योंकि शिक्षकों की भर्ती रद्द होने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। भर्ती में भारी भ्रष्टाचार और सी.बी.आई. जांच से तृणमूल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।

दूसरी ओर 26 हजार शिक्षकों की नौकरी जाने के लिए भी भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि इन शिक्षकों की नौकरी भाजपा के कारण गई है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार में भारी भ्रष्टाचार है और हेरानी जताई कि क्या होगा अगर जनता का सरकार से भरोसा उठा जाए तो।

सोनिया गांधी का वीडियो जारी किया कांग्रेस ने

—डॉ. सतीश मिश्रा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 7 मई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कड़ी आलोचना की और उन पर राजनैतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि, इंडिया

■ सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर राजनैतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की।

ब्लॉक देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित इस दुर्लभ वीडियो में सोनिया गांधी ने नागरिकों से बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरियाणा में भाजपा को भारी झटका

भाजपा सरकार अल्पमत में आयी, 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने से

—श्रीनंद झा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 7 मई। लोकसभा चुनावों के प्रचार के बीच हरियाणा से परेशान करने वाली खबर आयी है। राज्य की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है।

दुष्यंत चौटाला को जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने पहले ही समर्थन वापस ले लिया था। सैनी की सरकार अब अल्पमत में आ गयी है क्योंकि विधानसभा के 88 सदस्यों में से भाजपा के 40 सदस्य ही हैं। बड़ी परेशानी की बात यह है कि, इस अकरमत्त घटनाक्रम के कारण, भाजपा पार्टी की एन.डी.ए. के लिए 400 सीटें और स्वयं के लिए 370 सीटें जीतने की आकांक्षाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए मई 2024 में मतदान होगा है। गत 2019 के चुनावों में भाजपा ने दस

■ 85 सदस्यीय विधानसभा में अब भाजपा को केवल चालीस विधायकों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जे.जे.पी. पहले ही भाजपा सरकार का साथ छोड़कर सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है।

■ इस समर्थन वापस लेने की घटना के बाद, भाजपा की मुश्किलें वर्तमान लोकसभा चुनाव में और बढ़ गयी हैं, क्योंकि इन निर्दलीय विधायकों ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का इरादा जताया है, इससे भाजपा के लिए 10 में से दस संसदीय सीटों पर जीतने का पुराना इतिहास दोहराना मुश्किल लगता है।

में से दस सीटें जीती थीं। यद्यपि, इस बार किसानों के आंदोलन और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने जैसे मुद्दों के कारण कांग्रेस बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

कोर्ट के नेता, इस घटनाक्रम के कारण जाहिर तौर पर काफी उत्साहित हैं क्योंकि तीन निर्दलीय विधायकों, सोमबीर सांगवान, रणबीर गोलेन और धर्मपाल गौंदर ने वर्तमान चुनावों में

कोर्ट को समर्थन देने के निर्णय की घोषणा की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रमुख उदय धान की उपस्थिति में एक प्रैसवार्ता में बोलते हुए इन विधायकों ने कहा, किसानों के लिए भाजपा की इन भेदभावपूर्ण नीतियों सहित कई कारकों के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है।

धान ने सैनी की सरकार के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरिश् चौधरी को पंजाब की जिम्मेदारी

जयपुर, 7 मई (का.प्र.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बायत विधायक हरिश् चौधरी को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में विशेष जिम्मेदारी देते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हरिश् चौधरी पंजाबी के प्रभारी के तौर पर दो बार काम कर चुके हैं और राजस्थान के दूसरे नेता हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है। गत दिनों

■ सचिन पायलट और सी.पी. जोशी को दिल्ली की एक-एक लोकसभा सीट दी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी।

इसी के साथ सचिन पायलट को दिल्ली उत्तर पूर्व लोकसभा सीट और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक बनाया गया है।

पूर्व मु.मंत्री कुमारास्वामी ने डी.के. शिवकुमार पर जनता दल (एस) को जड़ से नष्ट करने का आरोप लगाया

प्रश्न उठा रहे हैं। एक केस तो ऐसा है जिसमें प्रज्वल रैवना के पिता एच.डी. रैवना पर भी यौन शोषण का आरोप है। जद (एस) और उसके सहयोगी दल वीडियोज रिलीज किए जाने के समय पर तो उंगुली उठा रहे हैं, लेकिन सीरियल रेप के इस वास्तविक स्केण्डल पर चुप्पी साधे हुए हैं।

मंगलवार को जब कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही थी, तब इस घिनौने काण्ड का साया मतदान पर भी नजर आ रहा था, क्योंकि महिलाओं ने अधिक संख्या में वोट डाले। राजनैतिक विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि महिलाओं की तादाद

■ पर, कुमारास्वामी उन सैंक्स वीडियो के 'कंटेंट' के बारे में कुछ नहीं बोले। जैसा कि, विदित है, पूर्व प्र.मंत्री देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रैवना पर आरोप है कि, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि दुष्कर्म करके वीडियो बनायी तथा ये वीडियो पैन ड्राइव में मौजूद हैं, जो मतदान से पूर्व कर्नाटक में बहुत भारी संख्या में वितरित की गयीं।

■ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि, इस बार भारी संख्या में महिलाएं मतदान के लिये आगे आयी हैं। इसका एक बड़ा कारण है, सभी महिलाओं को विधानसभा चुनाव के दौरान "फ्री" बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना व प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार की महिला को दो हजार रूपये देने का वादा।

■ पर, सैंक्स वीडियो ने यह निर्धारित किया कि, महिलाएं मतदान किस के पक्ष में करेंगी।

अधिक होने के कारण विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं से किए गए वादे हो सकते हैं, जैसे कि बस में मुफ्त